

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 27.02.2021 को थाना रोहनियां के उ०नि० संतोष कुमार यादव मय हमराही देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में जमुआ तिराहे राजातालाब के पास मौजूद थे कि महगाँव की तरफ से तीन व्यक्ति तीन मोटर साइकिल से आते हुए दिखाई दिये, जिन्हे रूकने का इशारा किया गया तो भागने का प्रयास करने लगे, को मौके से ही समय करीब 04.15 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो मोटर साइकिल हीरो सुपर स्प्लेण्डर (संख्या UP 65 CP 1468) पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रोहित कुमार पटेल उर्फ लाला पुत्र राजनाथ पटेल बताया जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर का बरामद हुआ, दूसरी मो०सा० हीरो सुपर स्प्लेण्डर (नम्बर प्लेट नहीं लगा हुआ है) पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आशीष राजभर पुत्र दयाराम राजभर बताया व तीसरे वाहन T.V.S. X 100 (नं० UP 65 DA 8762) को चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम वेदी पटेल पुत्र स्व० कल्लु पटेल बताया। गाड़ी का चेसिस नं० MD621EP19J2B48537 इंजन नं० DP1BJ2596049 पाया गया, जो थाना स्थानीय के मु०अ०सं० 115/2021 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*पूछताछ विवरण\*

पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ किया गया तो रोहित कुमार पटेल उर्फ लाल ने बताया कि वाहन संख्या UP 65 CP 1468 को थाना मडुवाडीह क्षेत्र से चोरी किया था स्थान व तिथि मुझे याद नहीं है। आशीष राजभर से बरामद बिना नम्बर कि मोटर साइकिल के संबंध में पूछताछ किया गया तो बताया कि मैंने जैतपुरा थाना क्षेत्र से चोरी किया था स्थान व तिथि भूल गया हूँ। रोहित कुमार पटेल उर्फ लाला उपरोक्त से बरामद तमन्चा व कारतूस का प्रमाण पत्र माँगा गया तो नहीं दिखा सके।

\*गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण\*-

1. रोहित कुमार पटेल उर्फ लाला पुत्र राजनाथ पटेल निवासी कनेरी थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष
2. आशीष राजभर पुत्र दयाराम राजभर निवासी कनेरी थाना रोहनियाँ जनपद – वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष
3. वेदी पटेल पुत्र स्व० कल्लु पटेल मूल पता वादीपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष

\*बरामदगी का विवरण\* :-

1. मोटर साइकिल हिरो सुपर स्पेलेन्डर UP 65 CP 1468 चेसिस नं० MBLJA05EWG9K57417 व इंजन नं० VA05ECG9K05929 सम्बन्धित मु०अ०सं० 124/21 धारा 41/411/413/414 भादवि

2. मोटर साइकिल हिरो सुपर स्पेलेण्डर बिना नम्बर प्लेट चेसिस नं०  
MBLJA05EWH9A02421 व इंजन नं० JA05EeH9A01567 सम्बन्धित मु०अ०सं०  
124/21 धारा 41/411/413/414 भादवि
3. मोटर साइकिल T.V.S. X 100 नं० UP 65 DA 8762 चेसिस नं०  
MD621EP19J2B48537 इंजन नं० DP1BJ2596049 सम्बन्धित मु०अ०सं० 115/21  
धारा 379/411 भादवि
4. एक अदद तमंचा व एक अदद कारतूस सम्बन्धित मु०अ०सं० 123 /2021 धारा 3/25  
आर्म्स एक्ट

**\*आपराधिक इतिहास \***

1. मु०अ०सं० 115/21 धारा 379/411 भादवि
2. मु०अ०सं० 123 / 21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
3. मु०अ०सं० 124/21 धारा 41/411/413/414 भादवि

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:\*** -

- प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार, उ०नि० संतोष कुमार यादव प्रभारी चौकी राजातालाब, उ०नि० नागेन्द्र नाथ चौबे, का० पियूश कुमार, का० विकास कुमार, का० विक्रान्त, का० साजमन थाना रोहनियां वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 27.02.2021 को थाना रोहनियां के उ0नि0 ओम प्रकाश मय हमराही देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली की थाना रोहनियां में पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2021 धारा 279,304ए भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त लठिया तिराहे के पास खड़ा है, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस बात पर विश्वास कर थाना रोहनियां पुलिस उक्त स्थान पर पहुंची, मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम लालू पुत्र कुदरत अली निवासी वियाहूर अधवार थाना चुनार मिर्जापुर बताया। थाना रोहनियां पुलिस द्वारा उसको जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 10.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\***

- लालू पुत्र कुदरत अली निवासी वियाहूर अधवार थाना चुनार मिर्जापुर उम्र करीब 20 वर्ष

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण\* -**

- प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार, उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, का0 जितेन्द्र प्रसाद थाना रोहनियां वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक 26.02.2021 को थाना लंका पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र में नुआंव चौराहे पर मौजूद थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक डी0सी0एम, जिसका नम्बर UP 62 T 3083 है, में गोवंश लादकर प्रयागराज की तरफ से बिहार वध हेतु ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके थाना लंका पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग प्रारम्भ कर दिया गया। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद लगभग उपरोक्त नम्बर की डी0सी0एम आती हुई दिखाई दी, पुलिस बल द्वारा उक्त डी0सी0एम को रोकने का ईशारा किया गया तो चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज गति से लेकर भागने का प्रयास किया। परन्तु आगे टोल प्लाजा व सड़क जाम होने के कारण उक्त डी0सी0एम को गोकुल ढाबा के पास से पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम सलमान पुत्र बच्चे मियां उर्फ लैकुद्दिन निवासी रुद्रपुर थाना सोरांव जनपद इलाहाबाद व कलाम अशरफ पुत्र मो0 इद्रीश निवासी बक्सी थाना करैली जनपद इलाहाबाद बताया। थाना लंका पुलिस द्वारा भागने का कारण पूछा गया तो दोनो ने बताया कि उक्त डी0सी0एम में गोवंशीय पशु लदे हुए हैं, जिसके बरामदगी व गिरफ्तारी के भय से हम दोनों भाग रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। डी0सी0एम का ढाला खोलकर देखा गया तो गोवंशीय पशु भरे हुए थे। वाहन के कागजात मांगने पर न दिखा सके तथा वाहन स्वामी के बारे में पूछने पर बताये कि उक्त डी0सी0एम वाहन जगदीश प्रसाद पुत्र सीताराम निवासी पकड़ी गोदाम थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के नाम पर पंजीकृत है। उक्त पकड़े गये व्यक्तियों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 23.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0182/2021 धारा 279/429 भा0द0वि0 व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. सलमान पुत्र बच्चे मियां उर्फ लैकुद्दिन निवासी रुद्रपुर थाना सोरांव जनपद इलाहाबाद
2. कलाम अशरफ पुत्र मो0 इद्रीश निवासी बक्सी थाना करैली जनपद इलाहाबाद

\*बरामदगी का विवरण-\*

1. कुल 12 राशि गोवंशीय पशु (जीवित-10) / (मृत -2)
2. एक अदद डी0सी0एम वाहन
3. वीवो कम्पनी का एण्ड्रायड मोबाइल फोन
4. कार्बन कम्पनी का कीपैड मोबाइल
5. कुल 810/- रूपये नगद

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण- \*

- उ०नि० जय प्रकाश सिंह, उ०नि० प्रभाकर सिंह, का० शोमनाथ व का० मनीष कुमार थाना लंका वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 27.02.2021 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 203/2020 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 नेहाल उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 एजाज अहमद निवासी सी 19/137 बड़ा चकरा लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष को लोहामण्डी के पास से समय करीब 00.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी के रू0 900/- नगद बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- मो0 नेहाल उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 एजाज अहमद निवासी सी 19/137 बड़ा चकरा लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

\*बरामदगी का विवरण-\*

- चोरी के रू0 900/- नगद

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 अनिल कुमार साहू, का0 संतोष कुमार यादव, का. मुकेश यादव, का0 एजाज हुसैन व का0 सुनील कुमार थाना चेतगंज वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 27.02.2021 को पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा थाना चोलापुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थानों पर बने महिला हेल्प डेस्क के कार्यों, थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।







\*प्रेस नोट\*

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 77 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 2960 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 235 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 69 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2200 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 68 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।